उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-63/2018-19

चंदर पंडित

बनाम्

मीना देवी

-: आदेश :-

दिनांक	
14/03/19	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता चंदर पंडित, पे0—स्व0 जगदीश पंडित, सा0—बागजोरी, थाना—ललमटिया, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0—235/16—17 के आदेश दिनांक—19.07.2018 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0—235/16—17 के आदेश दिनांक—19.07.18 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा—बागजोरी नं0—29 के जमाबंदी सं0—10 रकवा 01—19—02 धुर तथा मौजा—बालाचीनी नं0—554 जमाबंदी जमाबंदी सं0—29 रकवा 01—13—15 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा—20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी मीना देवी, पति—सुशील पंडित ने अपने स्वाभाविक पिता अपीलकर्त्ता चंदर पंडित के विरूद्ध निम्न न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0—63/18—19 दायर किया था। उक्त वाद में निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के कारण—पृच्छा का इंतजार किये बिना एवं बिना जाँच प्रतिवेदन का ही एक तरफा आदेश पारित किया है, जो नियमानुकूल नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी दोनों ही जमाबंदी रैयत फतु पंडित के उत्तराधिकारी है और दोनों पक्ष इस तथ्य को अपने—अपने आवेदन में स्वीकार कियें हैं। उत्तरवादी मीना देवी, मो0 अलखी के पोष्यपुत्र के आधार पर दावा कर रही है एवं वर्तमान अपील वाद में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि दोनों पक्ष अपील वाद जमीन के जमाबंदी रैयत फतु पंडित के उत्तराधिकारी है। उनका आगे कथन है कि दोनों ही पक्ष के एक ही जमाबंदी

रैयत के वंशज होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलवादगत जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलवादगत जमीन के जमाबंदी रैयत फतु पंडित अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः गणेश पंडित, देबु पंडित एवं वंशी पंडित को छोड़कर फौत कर गये। गणेश पंडित को एक पुत्र गंगाराम पंडित हुए। गंगाराम पंडित अपने पत्नि मो0 अलखी को छोड़कर फौत कर गये। उत्तरवादी मीना देवी को मो0 अलखी ने निबंधित दस्तावेज सं0–62/2001 दिनांक–15.10.2001 के द्वारा पोष्यपुत्री लिया है। गोद लेने के बाद मीना देवी अपने गोद लिये माता के साथ रहने लगी एवं शादी के बाद अपने ससूराल में रहने लगी। अपीलकर्त्ता के द्वारा गंगाराम पंडित एवं अलखी देवी के जमीन की खेती–बाड़ी नहीं करने देने के कारण उन्होंने निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए उच्छेदी वाद दायर किया था। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के अवैध दखल पाते हुए अपीलवादगत जमीन से उच्छेद किया। निम्न न्यायालय ने किसी भी तरह से विधि के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–65/रा0 दिनांक–19.01.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बागजोरी थाना नं0–29 ज0नं0–10 दाग नं0–142, 163, 168, 176, 180, 181 एवं 158 रकवा क्रमशः 01–13–05 धुर, 00–18–03 धुर, 00–04–17 धुर, 00–00–12 धुर, 00–03–00 धुर, 01–13–18 धुर एवं 01–03–12 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में दखल रैयत–फतु पंडित अंकित है। रैयत–फतु पंडित के तीन पुत्र गणेश पंडित, देबु पंडित एवं वंशी पंडित हुए। विषयांकित मामले के अपीलकर्त्ता चंदर पंडित, वंशी पंडित के वंशज है जबकि उत्तरवादी मीना देवी, गणेश पंडित के पुत्रबधु मो0 अलखी देवी (मृत) पति–स्व0 गंगा पंडित की पोष्य पुत्री है, जिनकी शादी देबु पंडित के वंशज सुशील पंडित, पिता–हलधर पंडित से हुई है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले के पक्षकारों का आपस में पिता–पुत्री का संबंध है तथा एक ही रैयत फतु पंडित के वंशज है। वादगत भूमि रकवा

01–19–02 धुर पक्षकार चंदर पंडित के दखल उपयोग में है, जो रैयत फतु पंडित के पुत्र गणेश पंडित के हिस्से की जमीन है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–235/16–17 (मीना देवी बनाम् चंदर पंडित) के मामले में अपीलकर्त्ता चंदर पंडित को उच्छेद किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–बागजोरी जमाबंदी सं0–10 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में धुरन पंडित वो चीतमन पंडित वो ठाकुर पंडित पेशरान पाचु पंडित वो छकरू पंडित वो दशरथ पंडित पेशरान धाना पंडित वो भीजी पंडित वल्द अनंत पंडित वो मु0 दीआ जौजे रोहिन पंडित वो फतु पंडित वल्द झगरू पंडित के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत फतु पंडित के वंश के आधार पर दावा किया है एवं उत्तरवादी मीना देवी अलखी देवी के द्वारा लिये गये पोष्यपुत्री के आधार पर दावा किया है तथा पोष्यपुत्री से संबंधित कागजात का छाया प्रति भी दाखिल किया है। इसे स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं0–1 का दावा पोष्यपुत्री के आधार पर है। लेकिन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–1 का आपस में पिता–पुत्री है एवं एक ही जमाबंदी रैयत फतु पंडित के वंशज है। दोनों ही पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है। यह स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–235/16–17 में दिनांक–19.07.18 के आदेश को खारिज करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। यह स्वत्व से संबंधित मामला प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष चाहे तो स्वत्व का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/08/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/08/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
16/08/21

16/8/2021

डी0नं0–136
01-09-2021

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:23:26 +05:30
Location: 192.168.29.32